बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश सं0–2/नि0 1–101/12 104 पटना, दिनांक– 4/4/18

लोक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत पूर्व से विभिन्न वर्षो/चरणों में संविदा पर नियोजित कुल 15 कनीय अभियता (यात्रिक) जिनकी सविदा अवधि समाप्त हो चुकी है तथा वर्तमान में कार्यरत है। दिनाक–13.03.18 को मत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–07 के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई एव तदनुसार निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–66 दिनाक–27.03.18 के आलोक में अगले एक वर्ष के लिए पुर्निनियोजन हेतु एकरारनामा करना है। इस हेतु निम्न इच्छुक उम्मीदवारो को पत्र निर्गत की तिथि से 10 दिनों के अन्दर विहित प्रपत्र मे सरकार के साथ एकरारनामा करना होगा। एकरारनामा के साथ पासपोर्ट साईज का दो अदद् फोटो एवं असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।

क्र0	कनीय अभियंता (यांत्रिक) का नाम	कार्यरत स्थान	
		प्रमंडल	प्रशाखा
1	श्री कुमार गौरव	मुजफ्फरपुर	बेतिया
2	श्री लखेन्द्र कुमार	भागलपुर	बाका
3	श्रीमती अनुप्रीति	मुजफ्फरपुर	सीतामढी
4	श्रीमती रूबी कुमारी	मुगेर	जमालपुर
5	श्री सौरभ कुमार	मुजफ्फरपुर	लालगज
6	श्री मनोज कुमार	पूर्णिया	मधेपुरा
7	श्री विकास कुमार तिग्गा	सासाराम	पीरो
8	मो0 अली राजा	सासाराम	मोहनिया
9	श्री अवधेश कुमार	पूर्णिया	खगडिया
10	श्री सुजीत कुमार	पूर्णिया	फारबिसगज
11	श्री मुकेश कुमार	पटना	बाढ
12	श्री विपिन कुमार	मुजफ्फरपुर	शिवहर
13	श्री शशिधर कुमार	मुजफ्फरपुर	मोतिहारी
14	मो0 जावेद शमीम	मुगेर	लखीसराय
15	श्री अरुण कुमार दास	दरभंगा	जयनगर

अतः उक्त को सूचित किया जाता है कि असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अलावे हाल का दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ उक्त निर्धारित तिथि तक सरकार के साथ संलग्न विहित प्रपत्र मे एकरारनामा सम्पादित करें

Ranjan

अन्यथा अगले एक वर्ष के लिए पुनर्नियोजन पर विचार नहीं किया जायेगा। एकरारनामा करते समय, कार्य–कलाप की वर्तमान स्थिति प्रभारी पदाधिकारी से प्राप्त कर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

5/4/18
(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

ज्ञापाक– 2/नि0 1–101/12 77 दिनाक– 5/4/18

E-mail

प्रतिलिपि– माननीय मत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख का कोषाग/सभी मुख्य अभियता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रूपाकण एवं योजना सहित)/सभी कार्यपालक अभियता (रूपाकन एव योजना सहित)/बजट शाखा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/4/18
(दया शंकर मिश्र)
सयुक्त सचिव (प्र0को0)

ज्ञापाक– 2/नि0 1–101/12 77 दिनाक– 5/4/18

प्रतिलिपि– विभागीय आई0टी0 मैनेजर को वेबसाइट पर डालने हेतु प्रेषित।

5/4/18
(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

ज्ञापांक– 2/नि0 1–101/12 77 दिनांक– 5/4/18

प्रतिलिपि– सभी संबधित सविदा आधारित कार्यरत कनीय अभियता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/4/18
(दया शंकर मिश्र)
सयुक्त सचिव (प्र0को0)

Ranjan

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना–800015

(संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा)

यह एकरारनामा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं चयनित/नियोजित होने वाले श्री .... के बीच निम्नलिखित शर्त्तो के साथ की जा रही है:–

1. यह नियोजन केवल कनीय अभियंता (यांत्रिक) के लिए किया जायेगा।
2. यह नियोजन संविदा के आधार पर अधिकतम 01 (एक) वर्ष के लिए किया जायेगा।
3. संविदा के आधार पर नियोजित श्री .... को 27,000/–रूपये प्रति माह एकमुश्त राशि पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नही होगा।
4. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगा।
5. इस आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
6. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणीय नही होगी।
7. संविदा के नियोजन के उपरान्त नियोजित स्थान हेतु अपने इच्छुसार आवेदक दो विकल्प दे सकते है परन्तु किसी भी स्थान पर नियोजन का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
8. नियोजन के पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि (कन्ट्रेक्ट पीरियड) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षो द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।
10. संविदा पर नियोजन के पश्चात् दोनों पक्षो को एकरारनामा की उपरोक्त शर्त्ते मान्य होगी। नियोजित व्यक्ति उपरोक्त एकरारनामा के किसी शर्त का उल्लंघन करेगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

नियोजित कनीय अभियंता
का हस्ताक्षर

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार, पटना